



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 20, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, झाँसी

22 जुलाई, 2022 ई०

सं० 132/स्वा०वि०/न०नि०/2022-23-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभाग एतद् द्वारा ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सैप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेन्ट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अनुषंगिक मामलों के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है।

अध्याय-1

प्रारम्भिक-

1-लघु-शीर्षक और प्रारम्भ-

(i) इन विनियमों को 'झाँसी फीकल स्लज, सैप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (एफ०एस०एस०डब्ल्यू०एम०) विनियम, 2022 कहा जायेगा।

(ii) ये विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से झाँसी नगर निगम (जे०एन०एन०) की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2-परिभाषाएँ-

(i) 'एक्सेस कवर से तात्पर्य है-निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिये ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्था (ओ०एस०एस०) तक पहुंच के लिये प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपर्युक्त ढक्कन;

(ii) जे०एन०एन० पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से तात्पर्य है-राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिये विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर जिसका जे०एन०एन० द्वारा फीकल स्लज एवं सैप्टेज (एफ०एस०एस०) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिये निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो;

(iii) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0) एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-थलग पड़े सामुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सजून स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से अपशिष्ट जल के तरल-ठोस, दोनों भागों को उपचार किया जाता है।

(iv) निर्दिष्ट अधिकारी से तात्पर्य, स्वयं नगर आयुक्त अथवा जे0एन0एन0 का ऐसा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त आदि, जिसे नगर आयुक्त द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिये अधिकृत किया गया है;

(v) डी-स्लजिंग से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा ओ0एस0एस0 से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है;

(vi) निपटान से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रभावित करना/ले जाने का कार्य अभिप्रेत है।

(vii) उत्स्रवाही किसी ओ0एस0एस0 से श्रावित द्रव्य है। सैप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्स्रवाही कहा जाता है;

(viii) फीकल स्लज से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर और शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएँ भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, ओ0एस0एस0 में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है;

(ix) "फीकल स्लज व सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसएसटीपी)" सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहाँ फीकल स्लज/सैप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) "लाइसेंस" से तात्पर्य है-किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें जे0एन0एन0के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो;

(ix) "लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" से तात्पर्य है-डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति;

(xii) "अधिसूचित स्थान" से तात्पर्य है एफएसएस पहुंचने और निपटान का स्थान जिसे जे0एन0एन0 द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है;

(xiii) "ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था जिसमें मल-मूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां वह उत्पन्न होता है;

(xiv) "प्रचालक" से तात्पर्य है-एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन या ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति;

(xv) "व्यक्ति" प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या न हो;

(xvi) "शेडयूल्ड डी स्लजिंग" सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीएचईईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया;

(xvii) "सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है;

(xviii) "सीवेज" अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है;

(xix) "सीवर" से तात्पर्य है-समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाइपलाइन;

(xx) "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" से तात्पर्य है-वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है;

(xxi) "कार्यबल" से तात्पर्य है-शहर में नगर आयुक्त, नगर निगम झॉसी की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगो, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है;

(xxii) जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी" से तात्पर्य है-जे0एन0एन0 के स्वागित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस क डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए जे0एन0एन0 के सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी;

(xxiii) "परिवहन" से तात्पर्य है-जे0एन0एन0 पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना;

(xxiv) "ट्रीटमेंट" से तात्पर्य है-प्रदूषण को कम करने या उसकी रोक थाम के लिए एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया;

(xxv) "वैक्यूम टैंकर" एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खोंचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गए एफएसएस के परिवहन के लिए भी किया जाता है;

(xxvi) "अपशिष्ट जल" से तात्पर्य है-घरेलू/व्यावासायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल हैं किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है;

इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल प्रबंधन-

3-परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान-प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्:

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सैप्टिक टैंक से जोड़े;

(ii) अपशिष्ट जल को जे0एन0एन0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। संपत्ति मालिक (मालकिन), ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओएसएस में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउटलेट ना हो।

अध्याय-III

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4-ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव—

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: आशोधित 'मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स, 2013, सीपीएचईईओ' के प्रावधानों के अनुसार अथवा जे0एन0एन0 या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफएसएस की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक जे0एन0एन0 द्वारा यथा: निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा स्थिति में रु0 5000/- आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओएसएस में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफएसएस के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओएसएस को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) जे0एन0एन0 या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। जे0एन0एन0 परिसर के मालिक/धारक को एक समय-सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (एफएसएसडब्ल्यू) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) जे0एन0एन0 अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-IV

एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5-जे0एन0एन0 द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

(i) जे0एन0एन0 निजी ऑपरेटर(रों) द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर(रों) का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में झॉंसी शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) जे0एन0एन0 अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा (करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iv) जे0एन0एन0 एफएसएस को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi) जे0एन0एन0 आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगी। जे0एन0एन0 अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। जे0एन0एन0को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में जे0एन0एन0 मानते हैं कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6-लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड—

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित "व्यक्ति" हैं।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

(iii) झाँसी में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक जे0एन0एन0 के साथ अपने अपने वैक्यूम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक जे0एन0एन0 अथवा जे0एन0एन0 द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7-लाइसेंस के लिए आवेदन—

एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और जे0एन0एन0 के निर्दिष्ट अधिकारी(रियों) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8-लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण—

जे0एन0एन0 अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

9-लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क—

जे0एन0एन0 लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा जे0एन0एन0 के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10-परफॉरमेंस गारंटी—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि जे0एन0एन0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

11-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार—

जे0एन0एन0 समय समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(ओं) को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12-जागरूकता अभियान—

जे०एन०एन० इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेंगे, साथ ही साथ एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-V**एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—****13-संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—**

(i) एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए जे०एन०एन० के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या जे०एन०एन० के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा (करेगी) कि डी-स्लजर(रों) को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा(करेगी)।

14-एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

(i) एफएसएस की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को जे०एन०एन० के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) जे०एन०एन० शहर में शेडयूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को 'सैनिटेशन चार्ज' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर जे०एन०एन० द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर जे०एन०एन० द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा(करेगी)।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनायेगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15-एफएसएस के परिवहन के लिए वाहन—

(i) एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(रों), या जे०एन०एन० के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकर(रों) को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों में, संबंधित ऑपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर जे०एन०एन० द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर जे०एन०एन० द्वारा जारी किये गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" ("SEPTIC TANK WASTE") (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जाएंगे।

16-परिवहन के दौरान सावधानियां—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17-दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय—

एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18-दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता—

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन संपत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा (होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19-तैनात कर्मी(यों) के लिए सुरक्षा-उपाय—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चलित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20-एफएसएस का निपटान—

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय समय पर जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा (करेगी)।

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म जे0एन0एन0 के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

21-कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा (होगी)।

22-कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा (होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख जे0एन0एन0 को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23-बीमा—

एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

24-लाइसेंस रद्द करना—

इन विनियमों सहित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉर्मेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-VI**एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान—****25-उपचार/निपटान स्थान(लों) की पहचान—**

जे0एन0एन0 ऐसे स्थान(नों) की पहचान करेगा और अधिसूचित करेगा, जहां एफएसएसडब्ल्यू को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जाएगा।

26-एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन—

जे0एन0एन0 आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगा और पंजीकृत वाहन(नों) द्वारा लाए गए एफएसएसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

27-एफएसएस प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती—

प्रत्येक अधिसूचित स्थान(नों) पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु जे0एन0एन0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगा।

28-एफएसएस प्राप्ति का समय—

जे0एन0एन0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान(नों) पर जे0एन0एन0 के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जाएगा।

29-औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए—

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थान(नों) पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

30-एफएसएसएम में प्रशिक्षण—

जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित स्थान(नों) पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

31-उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुनःउपयोग—

(i) जे0एन0एन0 किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) जे0एन0एन0 शहर में डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (1 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए जे0एन0एन0 से परामर्श करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

32-प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार नगर आयुक्त या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित हैं जिन्हें विधिवत तौर पर नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जे0एन0एन0 समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ता को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33-निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार—

इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से, जे0एन0एन0 के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34-उल्लंघन और दंड—

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति—
(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गए अधिकार के तहत कार्य करने वाले जे0एन0एन0 के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में, जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (₹0 5000/-) के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (₹0 1000/-) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जाएगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए, एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35-अपील—

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत जे0एन0एन0 के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो नगर आयुक्त को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता (सकती) है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय नगर आयुक्त द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36-विवाद समाधान उपबंध—

कोई भी विवाद जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल झाँसी शहर होगा।

37-संदर्भ दस्तावेज—

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

38-राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे—

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफएसएसडब्ल्यूएम के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

परिशिष्ट-1

प्रपत्र-1: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन-प्रपत्र
झाँसी नगर निगम, में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन-प्रपत्र

हाल ही में लिए
गए पासपोर्ट
आकार की
स्वयं सत्यापित
फोटों लगाएं

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)
2. राष्ट्रीयता: (भारतीय/अन्य)
3. पत्राचार का पता:
4. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता:
5. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय) (मोबाइल)
6. ईमेल आईडी:
7. वाहन को पंजीकरण संख्या:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
8. वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
9. वाहन बीमा वैधता की अवधि:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
10. वाहन प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
11. क्या वाहन में पीपीएस ट्रैकर संस्थापित है (हाँ/नहीं)
12. लाइसेंस के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान का विवरण
डी.डी. नंबर: दिनांक बैंक:
13. संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्वयं-सत्यापित प्रति) (टिक करें):

<input type="checkbox"/> पहचान-पत्र	<input type="checkbox"/> पंजीकरण प्रमाण-पत्र	<input type="checkbox"/> प्रदूषण प्रमाण-पत्र	<input type="checkbox"/> निवास प्रमाण-पत्र
<input type="checkbox"/> स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र	<input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस	<input type="checkbox"/> बीमा और पॅलिसी अनुसूची का प्रमाण-पत्र	
<input type="checkbox"/> पास पोर्ट साइज फोटो	<input type="checkbox"/> कर्मचारियों की सूची		

संलग्नों की कुल संख्या:

मैं/हम यह प्रमाणित करता (करती) हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 13 में दी गई जानकारी मेरे/हमारे संज्ञान में सही और सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता (करती) हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को ठीक ढंग से पढ़ और समझ लिया है और इनके अनुपालन के लिए मैं सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाने पर किसी भी समय लाइसेंस के लिए मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर
तिथि:

निबंधन एवं शर्तें—

(i) मल कीचड़ और सेप्टेज (एफएसएस) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जाएगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु झाँसी नगर निगम (जे0एन0एन0) से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

(ii) मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफएसएसटीपी) तक एफएसएस के संग्रहण और परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर जे0एन0एन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओएसएस के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

(iii) एफएसएस का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें जे0एन0एन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

(iv) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफएसएसटीपी तक परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

(v) डिस्लजिंग बिन्दु से एफएसएसटीपी तक एफएसएस को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे को ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा और जे0एन0एन द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जाएगा।

(vii) किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(viii) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(ix) वाहन/ टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" ("SEPTIC TANK WASTE") (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जाएगा।

(x) लाइसेंसधारी एफएसएस को केवल निर्दिष्ट एफएसएसटीपी/ नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

(xi) एफएसएसटीपी पर एफएसएस सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना बनाएगा, ताकि तय किए गए समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सके।

(xii) लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवाएं प्रदान करने, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिए होगा।

(xiii) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो, और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय जे0एन0एन0 को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

(xiv) एफएसएस की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जाएगा।

(xv) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि को जब्त कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिये भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट 2

प्रपत्र 2: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्रदान करने हेतु

नगर निगम, झाँसी में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण,
परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस

नगर निगम,
झाँसी की
मोहर के साथ
पासपोर्ट
साइज फोटो
लगाएं

नियमों/विनियमों, नगर निगम अधिनियम नियमों के सभी निबंधनों व शर्तों के क्रम में यह लाइसेंस और उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और कानूनों को लागू करने के विशेष लाइसेंस शर्तों के अधीन एतद् आपको अनुमति दी गई है:

1. आवेदक (श्री/सुश्री) का नाम
2. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता:.....

नगर निगम, झाँसी में ऑनसाइट कन्टेनमेंट से मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन एवं निपटान के लिए।

यह लाइसेंस एफएसएस संग्रहण, परिवहन और निपटान लाइसेंस आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पर आधारित है। यह लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जो नीचे निर्धारित है।

3. लाइसेंस नंबर:
4. प्रभावी तिथि:
5. समाप्ति तिथि:

गैर-अनुपालन के मामले में लाइसेंस रद्द या निरस्त किया जा सकता है और यह हस्तांतरणीय नहीं है। लाइसेंसधारी के कार्यालय में मूल लाइसेंस की प्रति फाइल में रखी जाएगी। इस लाइसेंस की एक प्रति लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक पंजीकृत वाहन में प्रदर्शित की जानी चाहिए।

6. हस्ताक्षर:

एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

परिशिष्ट-3

सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों की सूची—

कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:—

(i) शारीरिक सुरक्षा परिधान, जो मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो प्रतिबिंबित होत और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

(ii) सेपटी बॉडी हार्नेस/सेपटी बेल्ट।

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स, जो धूल, धुएं, धुंध, माइक्रोअर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(iv) सेपटी टार्च।

(v) भारी रसायन प्रतिरोध हाथ के दस्ताने, जो ब्यूटाइल से बने होते हैं और यांत्रिक सुरक्षा और खतरनाक सामग्री के छलकाव से सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त तौर पर फायदेमंद होते हैं।

(vi) सेपटी गॉगल्स (सुरक्षात्मक चश्मे) जिनमें रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता के साथ संक्रामक पदार्थों को आंखों तक पहुंचने से बचाने की क्षमता होती है।

(vii) सेपटी हेलमेट (कॉर्डेड) जिसमें एक टार्च लगी होती है और जो कम प्रकाशित स्थानों में कार्य करने में सहायक हो।

(viii) पुनः उपयोग किया जाने वाला इयरप्लग, जो प्रमुख तौर पर एक लचीली पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे जरूरत न होने पर गर्दन पर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन से बने होते हैं और ये वैक्यूम टैंकरों के ऑपरेशन के दौरान सहायक होते हैं, जहाँ औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होती है।

(ix) एमर्जेंसी मेडिकल ऑक्सिजन रिससकिटेटर किट।

(x) गैस मॉनिटर।

(xi) हैड लैम्प।

(xii) गाइड पाइप सेट।

(xiii) सुरक्षा ट्राईपॉड सेट।

(xiv) वेडर बूट्स।

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर।

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस आपूर्ति ट्रॉली सिसटम।

(xvii) रेनकोट।

परिशिष्ट-4

प्रपत्र 3: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड
नगर निगम, झाँसी में मल कीचड़ एवं सेपटैज के संग्रहण, परिवहन और
निपटान हेतु रिकॉर्ड के रखरखाव का प्रपत्र

तिथि

समय

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक/मालकिन का विवरण—

1. नाम:
2. पता:
3. टेलीफोन नंबर:
4. स्थापना का प्रकार:

II. नियंत्रण—

1. निर्माण का वर्ष
2. पिछली डिस्लजिंग: (तिथि/माह/वर्ष):
3. मौजूदा आउटलेट (हाँ/नहीं):
4. यदि हाँ, किससे जुड़ा हुआ:
5. कन्टेनमेंट का आकार:
6. लाइनिंग (हाँ/नहीं): दिवारें तल
7. कक्षों की संख्या:
8. प्रत्येक बाधिक दीवार में आउटलेट की संख्या:
9. माप (फीट): लंबाई चौड़ाई गहराई
- व्यास गहराई
10. जीपीएस निर्देशांक: अक्षांश देशान्तर
11. संपत्ति के भीतर कन्टेनमेंट का स्थान:

III. डि-स्लजिंग—

1. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर):
2. डि-स्लजिंग में समय (घंटे):
3. यात्रा की लंबाई (किमी):
4. आवागमन में समय (घंटे):

IV. डि-स्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण—

1. ऑपरेटर का नाम:
2. वाहन पंजीकरण संख्या:
3. सीएनपीपी लाइसेंस नं:

V. हस्ताक्षर—

ड्यूटी पर एम्पटीयर स्टाफ एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक ओएसएस मालिक

VI. डिकैटिंग (निथारना)—

1. समय (घंटे/माह):
2. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर):
3. एम्पटीयर कर्मचारियों का नाम:
4. एफएसएसटीपी ऑपरेटर का नाम:

VII. हस्ताक्षर—

ड्यूटी पर एम्पटीयर स्टाफ एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक एफएसएसटीपी ऑपरेटर

परिशिष्ट-6

प्रपत्र 4: अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपील ज्ञापन
अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपील ज्ञापन का प्रपत्र—

“अपीलीय प्राधिकारी” के समक्ष

(पदनाम)

1. अपीलकर्ता का पुरा नाम:

2. अपीलकर्ता का पता:

3. नगर निगम अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील जारी की है

नाम: पदनाम:

4. आदेश प्राप्त होने की तिथि जिस के विरुद्ध अपील जारी की है:

5. अपील दर्ज करने की तिथि:

6. सूचना का विवरण

क. संक्षिप्त में अपील का विषय (आदेश की प्रतिलिपि लगाए)

ख. अपील का आधार (विवरण, यदि कोई हो तो अलग शीट में संलग्न किया जाए)

सत्यापन

मैं, (आवेदक का नाम), श्री
का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी यह घोषणा करता/करती हूँ कि अपील में प्रदान की गई जानकारी मेरे संज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और यह कि मेरे द्वारा किसी भी तत्पगत जानकारी को छुपाया नहीं गया है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि

संलग्नक के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

1.

2.

..... यहाँ से फाड़ें

पावती

सं०

तिथि

..... से संलग्न के साथ अपील का ज्ञापन प्राप्त किया।

स्थान

तिथि

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
झाँसी नगर आयुक्त के आदेश द्वारा

ह० (अस्पष्ट),

नगर आयुक्त,

झाँसी नगर निगम, झाँसी।